विविध **बैंक प्रकरण संख्या 06/2022**(GCMS : 2022/10)**पंजाब नेशनल बैंक जरिये** निशान्त खुराना प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, **कार्यालय SASTRA केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर** <u>**बनाम**</u> **1. मैसर्स कलगीधर ब्रिक्स उद्योग –प्रो कर्मजीत कौर** पत्नी सोहन सिंह, चक 66 जीबी पोस्ट ऑफिस 66 जीबी, अनूपगढ, जिला श्रीगगानगर एवं निवासी वार्ड नं 3 पदमपुर जिला श्रीगंगानगर **2. परविन्दर सिंह पुत्र सोहन सिंह** निवासी मकान नं.1119, नजदीक टेलीफोन एक्सचेंज, वार्ड नं. 03, पदमपुर **3. जगविन्दर सिंह पुत्र रणजीत सिंह** निवासी वार्ड नं. 02, 11 केडी–ए, 10 केडी, रावला मंडी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.04.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 10.01.2020 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स कलगीधर ब्रिक्स उद्योग, परविन्दर सिंह, जगविन्दर सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 36.50/– लाख रूपये (अखरे रूपये छत्तीस लाख पचास हजार मात्र) का ऋण दिनांक 18.03.2024 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी कर्मजीत कौर द्वारा अपनी सम्पत्ति रिहायशी भूमि और भवन प्लॉट नं. 1120 (क्षेत्रफल 20′ गुणा 50′), इन्दिरा कॉलोनी, नजदीक टेलीफोन एक्सचेंज, पदमपुर, व्यावसायिक सम्पत्ति भूमि और भवन स्थित किल्ला नं.0 14/2(0.127), 15/2(0.126), 16(0.253), 17(0.253), 24(0.127), 25(0.126), पत्थर नं 255/446 (क्षेत्रफल 10120 वर्गमीटर) मुरब्बा नं 52, चक 66 जीबी,अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर एवं परविन्दर सिंह द्वारा अपनी सम्पत्ति रिहायशी भूमि और भवन प्लॉट नं. 1119 (क्षेत्रफल 20′ गुणा 50′), इन्दिरा कॉलोनी, नदजीक टेलीफोन एकस्चेंज, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.03.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थीगण ऋणियों के नाम दिनांक 31.03.2021 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

37,78,926/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 25.05.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने के लिए जारी किया गया। उक्त धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है। **इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए **सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि बंधक** रखी गई कर्मजीत कौर की रिहायशी भूमि और भवन प्लॉट नं. 1120 (क्षेत्रफल 20′ गुणा 50′), इन्दिरा कॉलोनी, नजदीक टेलीफोन एक्सचेंज, पदमपुर, व्यावसायिक सम्पत्ति भूमि और भवन स्थित किल्ला नं.0 14/2(0.127), 15/2(0.126), 16(0.253), 17(0.253), 24(0.127), 25(0.126), पत्थर नं 255/446 (क्षेत्रफल 10120 वर्गमीटर) मुरब्बा नं 52, चक 66 जीबी,अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर एवं परविन्दर सिंह की सम्पत्ति रिहायशी भूमि और भवन प्लॉट नं. 1119 (क्षेत्रफल 20′ गुणा 50′), इन्दिरा कॉलोनी, नदजीक टेलीफोन एकस्चेंज, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** मैसर्स कलगीधर ब्रिक्स उद्योग, परविन्दर सिंह, जगविन्दर सिंह को 36.50/– लाख रूपये (अखरे रूपये छत्तीस लाख पचास हजार मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 18.03.2014 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी कर्मजीत कौर ने अपनी रिहायशी भूमि और भवन प्लॉट नं. 1120 (क्षेत्रफल 20′ गुणा 50′), इन्दिरा कॉलोनी, नजदीक टेलीफोन एक्सचेंज, पदमपुर, व्यावसायिक सम्पत्ति भूमि और भवन स्थित किल्ला नं.0 14/2(0.127), 15/2(0.126), 16(0.253), 17(0.253), 24(0.127), 25(0.126), पत्थर नं 255/446 (क्षेत्रफल 10120 वर्गमीटर) मुरब्बा नं 52, चक 66 जीबी,अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर एवं परविन्दर सिंह ने अपनी सम्पत्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

रिहायशी भूमि और भवन प्लॉट नं. 1119 (क्षेत्रफल 20′ गुणा 50′), इन्दिरा कॉलोनी, नदजीक टेलीफोन एकस्चेंज, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **31.03.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 25.05.2021 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 03.06. 2021 को भिजवाना अंकित किया है, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा **अप्रार्थी मै. कलगीधर ब्रिक्स उद्योग एवं परविन्दर सिंह को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप ऑनलाईन ट्रेक उपलब्ध है एवं जगविन्दर सिंह के ऑनलाईन ट्रैक पर संदीप के एड्रेस पर तामिल होना अंकित है।**

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी कर्मजीत कौर की रिहायशी भूमि और भवन प्लॉट नं. 1120 (क्षेत्रफल 20′ गुणा 50′), इन्दिरा कॉलोनी, नजदीक टेलीफोन एक्सचेंज, पदमपुर, व्यावसायिक सम्पत्ति भूमि और भवन स्थित किल्ला नं.0 14/2(0.127), 15/2(0.126), 16(0.253), 17(0.253), 24(0.127), 25(0. 126), पत्थर नं 255/446 (क्षेत्रफल 10120 वर्गमीटर) मुरब्बा नं 52, चक 66 जीबी,अनूपगढ जिला श्रीगंगान[illegible] की सम्पत्ति रिहायशी भूमि और भवन प्लॉट नं. 1119 (क्षेत्रफ[illegible], नदजीक टेलीफोन एकस्चेंज, पदमपुर जिला श्री[illegible] के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिक[illegible] जिला श्रीगंगानगर में स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 25.05.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 25.05.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण मैसर्स कलगीधर ब्रिक्स उद्योग, परविन्दर सिंह, जगविन्दर सिंह को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना अंकित है जिसकी पोस्ट ऑफिस की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं **अप्रार्थी** मैसर्स कलगीधर ब्रिक्स उद्योग, परविन्दर सिंह **को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है एंव अप्रार्थी जगविन्दर सिंह के धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पर Item Delivered (To Sandeep addresser) अंकित है जिसके अनुसार अप्रार्थी जगविन्दर को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना नहीं माना जा सकता है।** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 के **अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) का 60 दिवस का नोटिस जारी करने पर यदि अप्रार्थीगण ऋणियों पर नोटिस की तामील नहीं होती है और अप्रार्थीगण नोटिस की तामील से बचने का प्रयास करते है तो नोटिस की प्रति उनके निवास स्थान पर चस्पा कर दो समाचार पत्रों में धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन करवाना आवश्यक होता है** परन्तु प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 25.05.2021 को जारी कर **पोस्ट ऑफिस की रजिस्टर्ड डाक से अप्रार्थीगण को भिजवाया है** और अप्रार्थी जगविन्दर सिंह [illegible] 13(2) के नोटिस की उस स्वयं पर न होकर अन्य किसी व्यक्ति [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:21 IST
Reason: SelfAttested

नोटिस तामील के सम्बन्ध में वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 3 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Demand Notice

(1) The service of demand notice as referred to in sub-section (2) of section 13 of the Ordinance shall be made by delivering or transmiting at the place where the borrower or his agent. empowered to accept the notice or documents on behalf of the borrower, actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, by registered post with acknowledgement due, addressed to the borrower or his agent empowered to accept the service or by Speed Post or by courier or by any other means of transmission of documents like fax message or electronic mail service:

PROVIDED that where authorised officer has reason to believe that **the borrower or his agent is avoiding the service of the notice or that for any other reason, the service cannot be made as aforesaid, the service shall be effected by affixing a copy of the demand notice on the the outer door or some other conspicuous part of the house or building in which the borrower or his agent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain and also by publishing the contents of the demand notice in two leading newspaper,** one in vernacular language, having sufficient circulation in that locality.

(2) Where the borrower is a body corporate the demand notice shall be served on the registered office or any of the brances of such body corporate as specified under sub rule(a)

(3) Any other notice in writing to be served on the borrower or his agent by authorised officer, shall be served in the same manner as provided in this rule.

(4) Where there are more than one borrower the demand noice shall be served on each borrower.

चूंकि प्रार्थीगण धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 25.05.2021 को जारी कर रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है और धारा 13(2) के नोटिस की तामील अप्रार्थीगण ऋणी/सहऋणी/गारंटर पर नोटिस की तामील स्वयं पर होनी आवश्यक है जबकि और अप्रार्थी जगविन्दर सिंह को धारा 13(2) के नोटिस की तामील स्वयं पर नहीं हुई है जो उक्त **THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 के RULE 3(4) के प्रावधानों की अवहेलना है। इस प्रकार बैंक द्वारा ऋणी को इसप्रकार समस्त ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामील होना नहीं माना जा सकता।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

कोई भी न्यायालय किसी भी प्रचलित/प्रभावी अधिनियम के प्रावधानों के बाहर जाकर कोई निर्देश/आदेश जारी नहीं कर सकता है और इसके सम्बन्ध माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ ने 2012 Cr. l.R.(SC) 726 - State of Bihar & Anr versues Arvind Kumar & Anr के पैरा–13 में भी निम्न प्रकार से निर्देश दिये है :

> **13.In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that genrally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provis'ons. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see aslo : Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. Anand Prakash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 264; and karnataka State Road Trasnport Corporation Vs Ashrafulla Khan & Ors, AIR 2002 SC 629]**

चूंकि अप्रार्थी संख्या 3 जगविन्दर सिंह पर उक्त RULE 3(4) के प्रावधानों के धारा 13(2) के नोटिस की तामील स्वयं पर न होने के कारण एवं उक्त कानूनी प्रावधानों की अवहेलना होने के कारण प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 स्वीकार करने योग्य नहीं है। प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए अप्रार्थीगण को पुनः धारा 13(2) के नोटिस जारी कर सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से कर पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक ... मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:21 IST
Reason: SelfAttested

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर